

# **The Bihar State Universities (Amendment) Bill, 2007**

A

Bill

To amend the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976).

**Preamble-** Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty eighth year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title, extent and commencement-** (1) This Act may be called the Bihar State Universities (Amendment) Act, 2007

(2) It shall come into force at once.

**2. Deletion of words 'The Bihar State University (Constituent Colleges) Service Commission' and 'Bihar Inter University Board' used in the Bihar Act 23, 1976 –**

The words 'The Bihar State University (Constituent Colleges) Service Commission' and 'Bihar Inter University Board' used in the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) and in the Statute/Ordinance/Regulation or otherwise references made thereunder shall be deemed to be deleted.

**3. Deletion of section 41 of the Bihar Act 23, 1976 –** Section 41 of the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) shall be deemed to be deleted.

**4. Substitution of section 57 of the Bihar Act 23, 1976 –** In the said Act for section 57 the following shall be substituted, namely

"57 (1) - Subject to the provisions of this Act and the provisions of the statute made thereunder appointment to the post of teachers and officers (other than Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Registrar and the Dean of faculty) of the University shall be made by the University on the recommendations of the Selection Committee consisting of the following members :-

(1) The Vice-Chancellor of the University concerned;

(2) One member to be nominated by the Chancellor.

(3) One member to be nominated by the Government.

(4) Three experts not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven

names approved by the Academic Council for each post, out of which at least one member should belong to scheduled caste/scheduled tribes and two shall be from outside the state.

(5) The head of the department of the discipline concerned;

- (ii) The selection committee shall prepare a merit list for appointment of teachers and officers from amongst the eligible candidates and make recommendation for their appointment according to merit in conformity with the reservation roster prepared by the university in accordance with law relating to reservation in appointment in force in the state.
- (iii) Quorum for meeting of the selection committee - Quorum for meeting of the selection committee shall be five in which presence of at least two experts shall be necessary.

**5. Substitution of section 57A of the Bihar Act 23, 1976 –**

The following shall be substituted in place of section 57A of the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976).

"57A-(1) - Subject to the provisions of the Act and the Statute made thereunder, appointment of teachers of affiliated colleges not maintained by the State Government, shall be made by the management of the college concerned by constituting a selection committee consisting of following members, namely :-

- (i) One member to be nominated by the Vice Chancellor who will be the Chairman of the Selection Committee.
- (ii) Three experts not connected with the College to be nominated by the Vice Chancellor from a panel of not less than seven names proposed by the management of the College out of which one member should belong to scheduled caste/scheduled tribes.
- (iii) Two members to be nominated by the management of the College.
- (iv) Principal of the college.

(2)- (i) Quorum for meeting of the selection committee – Five members of the selection committee which shall include at least two experts shall form a quorum for meeting of the selection committee.

(ii) The selection committee shall prepare a merit list for appointment of teachers from amongst the eligible candidates and make recommendation for their appointment to the management of the college according to merit in conformity with the reservation roster, prepared by it in accordance with the law relating to reservation in appointment in force in the state.

**6. Addition of a new section 57 B in the Bihar Act 23, 1976 -** The following new section 57 B shall be added after section 57 A of the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) :-

"57 B- Procedure of selection to be prescribed by the Statute- Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, Rule, Statute, Ordinance, or any other law for the time being in force, the Selection Committee constituted under section 57 and 57 A of this Act shall be bound by the procedure of selection to be prescribed by Statute to be framed by the University in accordance with procedure prescribed under the Act".

**7. Deletion of section 58 of the Bihar Act 23, 1976 –** Section 58 of the Bihar State Universities Act 1976 (Bihar Act 23, 1976) shall be deemed to be deleted.

**8. Saving - 58-A:** Notwithstanding substitution of section 57, 57-A and deletion of section 58 of the Act, any thing done or decision or action taken shall be deemed to have been validly taken and shall not be open to question on the ground of substitution or deletion of section 57, 57-A and section 58 of the Act.

## बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित ]

प्रस्तावना ।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **बिहार अधिनियम 23, 1976 में प्रयुक्त शब्द, " बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग" और " बिहार अन्तर विश्वविद्यालय, बोर्ड" का विलोपन ।—**

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) तथा परिनियम/अध्यादेश/विनियमों अथवा उनके अधीन किये गये अन्यथा प्रति निर्देश में प्रयुक्त शब्द, " बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग" और बिहार अन्तर विश्वविद्यालय, बोर्ड" विलोपित समझे जायेगे ।

3. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 41 का विलोपन ।—** बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 41 विलोपित समझी जाएगी ।

4. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 का प्रतिस्थापन ।—** उक्त अधिनियम में धारा 57 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा

" 57—(i) इस अधिनियम और इसके अधीन बनें परिनियमों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्ति (कुलपति/प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार और संकायाध्यक्ष के सिवाय) विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी :-

(1) कुलपति, अध्यक्ष

(2) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य,

(3) सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य,

(4) एकेडमिक कॉन्सिल द्वारा अनुमोदित कम से कम सात नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं होंगे तथा उनमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे और दो राज्य से बाहर के होंगे,

(5) अनुशासन से संबंधित विभागाध्यक्ष ।

(ii) चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों के बीच से शिक्षको एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक मेधा सूची तैयार करेगी और राज्य में लागू नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित विधि के अनुसार

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप मेरिट के अनुसार उनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेंगी ।

(iii) चयन समिति की बैठक के लिए कोरम ।— चयन समिति की बैठक के लिए कोरम चयन समिति के पाँच सदस्यों, जिनमें कम-से-कम दो विशेषज्ञ जरूर रहें, द्वारा पूरा होगा ।

**5. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क का प्रतिस्थापन ।—** बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 57 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“ 57 क (1) — इस अधिनियम और इसके अधीन बनें परिनियमों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध महाविद्यालयों में, जो राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं हो, शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित एक चयन समिति द्वारा की जायेगी :—

- (i) कुलपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य जो चयन समिति का अध्यक्ष होंगे ।
- (ii) महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुमोदित सात नामों की सूची में से कुलपति द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से सम्बद्ध नहीं होंगे और उनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे ।
- (iii) समिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय प्रबंधन से दो सदस्य ।
- (iv) महाविद्यालय के प्राचार्य

(2) (i) चयन समिति की बैठक के लिए कोरम ।— चयन समिति की बैठक के लिए कोरम, चयन समिति के पाँच सदस्यों, जिनमें कम-से-कम दो विशेषज्ञ जरूर रहें, द्वारा पूरा होगा ।

(ii) चयन समिति, पात्र अभ्यर्थियों के बीच से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक मेधा सूची तैयार करेंगी और राज्य में लागू नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित विधि के अनुसार महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा तैयार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप मेरिट के अनुसार उनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेंगी ।

आगे सभी नियुक्तियाँ, उचित विज्ञापन निकालने के पश्चात और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए, की जायेगी ।

**6. बिहार अधिनियम 23, 1976 में एक नई धारा 57 ख का जोड़ा जाना ।—** बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 57 क के बाद निम्नलिखित एक नई धारा 57 ख जोड़ी जायेगी :—

“ 57 ख — परिनियम द्वारा विहित की जानेवाली चयन प्रक्रिया ।— इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 57 एवं 57 क के अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परिनियम द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया द्वारा बाध्य होगी ।”

7. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 58 का विलोपन** ।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 58 विलोपित समझी जाएगी ।

8. **व्यावृत्ति** ।— अधिनियम की धारा 57, 57 क के प्रतिस्थापन और धारा 58 के विलोपन के होते हुए भी, किया गया कुछ भी या विनिश्चय अथवा की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और अधिनियम की धारा 57, 57-क और धारा 58 के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी ।